राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 335/2014/चितौडगढ

मैसर्स श्री गणपति फर्टीलाईजर्स लि.,
गौराजी का निम्बाहैडा, कपासन, चितौडगढ़। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या – 716/2014/चितौडगढ
3. अपील संख्या – 2199/2014/चितौडगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री गणपति फर्टीलाईजर्स लि.,
गौराजी का निम्बाहैडा, कपासन, चितौडगढ़। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....विभाग की ओर से
श्री एम.एल.पाटौदी, अधिवक्ता .....व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण द्वारा ये तीनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को आंशिक रूप से अपास्त किया गया है।

2. इन तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु एक ही होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश		विवादित मांग राशि
		क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष	
1.	335/14	67/वेट/12–13/चितौडगढ	23.12.13	13.03.03	2000–01	4,92,522
2.	716/14	67/वेट/12–13/चितौडगढ	23.12.13	13.03.03	2000–01	56,961
3.	2199/14	67/वेट/रेक्टि/12–13/चितौडगढ	30.05.14	13.03.03	2000–01	1,13,922

4. उपरोक्त अपीलों में व्यवहारी खाद के निर्माता एवं विक्रेता है, एवं इनके द्वारा खाद

लगातार.....2

की बिक्री FOR Basis पर की जाती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 02.08.2001 को किया गया। सर्वेक्षण से निम्न बाते सामने आई–

(A.) व्यवहारी द्वारा किराया भाडा राशि रूपये 12,38,267/– को विक्रय में नहीं दर्शाया।
(B.) कच्चे माल को रासायनिक माल बनाकर (राज्य बाहर) ब्रांच ट्रांसफर किया।
(C.) ब्रांच खोलने की सूचना समय पर नहीं दी, एवं लेखा पुस्तकें, बिक्री विवरण प्रपत्र समय पर पेश नहीं किये, तथा कर भी समय पर जमा नहीं करवाया।

5. इस पर कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी ने व्यवहारी पर कर राशि रूपये 1,22,833/– ब्याज रूपये 1,40,170/– एवं शास्ति राशि रूपये 2,78,961/– का आरोपण कर दिया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 13.03.2003 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2013 द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए किराया भाडा राशि पर आरोपित कर राशि रूपये 56,961/– एवं ब्याज राशि रूपये 18,416/– को अपास्त कर दिया। व्यवहारी द्वारा किराया भाडा राशि पर आरोपित शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने संशोधन प्रार्थना पत्र अपीलीय आदेश दिनांक 30.05.2014 के द्वारा स्वीकार करते हुए भाडा राशि पर आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,13,922/– को अपास्त कर दिया। शेष राशि को यथावत् रखते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी एवं विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि ट्रक का भाडा सुविधा हेतु क्रेता व्यवसायी द्वारा दिया गया है, जिसे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भुगतान राशि में से कम कर दिया है, एवं उस पर देय कर पूर्व में ही जमा करवा दिया गया है। अतः भाडा राशि पर लगाया गया कर, ब्याज एवं शास्ति अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से अपास्त की है। परन्तु व्यवहारी द्वारा ब्रांच ट्रांसफर हेतु खरीदे कच्चे माल पर जो अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है, वह भी अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा की गई समस्त बिक्री को उनकी लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। इस प्रकार उनकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय उच्चतम न्यायालय के Civil appeal 5134–5135 of 2002 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य निर्णय दिनांक 21.04.2009, माननीय कर बोर्ड की अपील 209/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स अनिल परनामी एण्ड कम्पनी, जयपुर TUD 37 page 45 प्रस्तुत किये।** अन्त में उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

7. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को पुनः स्थापित कर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. व्यवसायी द्वारा किराया भाडा राशि को विक्रय राशि में नहीं दर्शाया है, जबकि यह विक्रय राशि का ही एक भाग है, क्योंकि समस्त संव्यवहार for delivery के है। माल की डिलीवरी तक समस्त जिम्मेदारी विक्रेता फर्म की है, अतः भाडा राशि पर आरोपित किया गया कर व ब्याज विधिसम्मत है, मात्र उसका भुगतान क्रेता द्वारा किया गया है। अतः इस पर आरोपित कर राशि रूपये 56,961/– एवं ब्याज राशि रूपये 18,416/– उचित होने से कर व ब्याज को पुनर्स्थापित (Restore) किया जाता है। परन्तु व्यवसायी द्वारा सभी संव्यवहार को अपनी लेखापुस्तकों में दर्शाये है, अतः **माननीय उच्चतम न्यायालय के Civil appeal 5134–5135 of 2002 मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू सरकार** के परिपेक्ष्य में किराया भाडा राशि पर आरोपित शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. व्यवहारी द्वारा रियायती दर पर कच्चा माल क्रय करके उससे रासायनिक माल बनाकर (राज्य के बाहर) ब्रांच ट्रांसफर किया है, जो कि अधिनियम की धारा 10(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, तथा व्यवसायी द्वारा लेखा पुस्तकें एवं बिक्री विवरण प्रपत्र भी विलम्ब से पेश किये। अतः इन बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखा गया है, वह उचित होने से इन बिन्दुओ पर अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाता है।

11. उपरोक्तानुसार उक्त सभी तीनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य